



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्रतिभार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 242] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 1989/वैशाख 12, 1911
No. 242] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 1989/VAISAKHA 12, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी गयी है चितसे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

विस्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 मई, 1989

का.आ.318 (अ) :-केंद्रीय सरकार, स्वायत्त औषधि और सतः प्रभावी पदार्थ अर्बेस
व्यापार अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के पदेन अपर-सचिव श्री ए.सी.सलदाना को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिये विशेष रूप से सशक्त करती है।

[फा.सं. 771/3/89-सीमाशुल्क-8]

डा. निशा साहाय अच्युतन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 2nd May, 1989

S. O. 316(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 10 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), the Central Government hereby specially empowers Shri A. C. Saldanha, ex-officio Additional Secretary to the Government of India, for the purposes of the said Section.

[F. No. 771/3/89-Cus. VIII]

Dr. NISHA SAHAI ACHUTHAN, Jt. Secy.